

ईईसी-07

स्नातक उपाधि कार्यक्रम
(बीडीपी)

सत्रीय कार्य
(जुलाई 2015 एवं जनवरी 2016 सत्र हेतु)

पाठ्यक्रम कोड : ईईसी-07
पाठ्यक्रम शीर्षक: भारत में औद्योगिक विकास



सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदानगढ़ी, नई दिल्ली-110068

ईईसी-007
भारत में औद्योगिक विकास
सत्रीय कार्य (2015-16)

प्रिय विद्यार्थी,

सत्रीय कार्य के वर्तमान पैटर्न के अनुसार, आपको इस ऐच्छिक पाठ्यक्रम ईईसी-07 के लिए एक सत्रीय कार्य करना होगा। सत्रीय कार्य 100 अंक का है और तीन भागों में विभाजित है। आपको भाग क के किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न के 20 अंक हैं, भाग ख के किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर देने हैं; प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का है और भाग ग के किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं; प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का है।

जमा कराना

जुलाई 2015 चक्र में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को 31 मार्च, 2016 तक और जनवरी 2016 चक्र में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को 30 सितंबर, 2016 तक सत्रीय कार्य जमा कराने होंगे। सत्रीय कार्य अपने अध्ययन केंद्र के संयोजक के पास जमा कराएं। सत्रीय कार्य जमा कराने के बाद अध्ययन केंद्र से रसीद अवश्य प्राप्त करें।

ईईसी-007 : भारत में औद्योगिक विकास
(सत्रीय कार्य)

कार्यक्रम कोड : बीडीपी
पाठ्यक्रम कोड : ईईसी-07
सत्रीय कार्य कोड : ईईसी-07/सत्रीय कार्य/टीएमए/2015-16
कुल अंक : 100

सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

क) दीर्घ उत्तर प्रश्न

2×20=40

1. भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए छोटे पैमाने के उद्योगों के महत्व पर प्रकाश डालिए। छोटे पैमाने के उद्योगों को किन मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है?
2. भारतीय औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में वैश्वीकरण द्वारा जनित अवसरों एवं चुनौतियों को संक्षेप में लिखिए।

ख) मध्यम उत्तर प्रश्न

4×12= 48

3. भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में एमएनसी (MNC) की भूमिका की आलोचनात्मक जाँच कीजिए।
4. कृषि और उद्योग की अंतः कड़ियों की प्रकृति की चर्चा कीजिए।
5. भारतीय औद्योगिक क्षेत्र पर आधारित नव आर्थिक नीति 1991 के प्रभाव की जाँच कीजिए।
6. बेरोज़गारी और नौकरीविहीनता के अंतर को स्पष्ट कीजिए। नौकरीविहीनता की समस्या आमतौर पर कब उभरती है?

ग) लघु उत्तर प्रश्न

2×6= 12

7. संक्षेप में नोट लिखिए :

क) उत्कृष्ट कार्पोरेट शासन

ख) परिवर्तनीय डिबेन्चर

8. अंतर स्पष्ट कीजिए :

क) ऋण एवं इक्विटी

ख) संयुक्त उद्यम एवं विलय